हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांकः हि.शि.बो.(38) संबद्धता/2020- 106791 दिनांकः 01/10/2020

प्रेषकः-

सचिव,
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला-176213

प्रेषितः-

प्रबंधक/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
समस्त राजकीय एवं संबद्धता प्राप्त निजी स्कूल
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला।

विषयः- विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विद्यालय की Boundary Wall (गेट सहित) लगाये जाने के सन्दर्भ में।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 116वीं बैठक दिनांकः 29-08-2020 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि निजी शिक्षण संस्थानो की संबद्धता प्रदान करने से पूर्व उनमें Boundary Wall (गेट सहित) होनी अनिवार्य हो, क्योंकि प्रदेश के कुछ निजी स्कूल सड़कों के किनारे/नदी-नालों/ढलान के करीब अथवा ऐसे स्थानों पर स्थापित होते हैं जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के साथ लगते हैं जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है इसलिए निजी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय की Boundry Wall (गेट सहित) होना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सम्बद्धता रेगुलेशन के नियम 16.3.8 (INFRASTRUCTURE/ ACCOMODATION) में नियम 16.3.8 (u) का समावेश किया गया है जोकि निम्न प्रकार है:-

16.3.8 (u) School/institution situated in proximity to road/rivulet/down hill shall have a boundary wall/fencing having gate for the safety of school children.

अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्यवाही अमल में लाकर विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए ताकि सम्बद्धता प्राप्त करने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(अक्षय सूद) हि०प्र०से०
सचिव